प्रकरण संख्या 21/2019 2019/00126 ता0 रजू 24.05.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

हरीमोहन मीना पुत्र भरतलाल जाति मीना आयु 48 निवासी मण्डावरा तहसील सपोटरा जिला करौली
– अपीलाण्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील अंतर्गत धरा 22 राज0 खाद्य अधि0 निर्णय दिनांक 09.05.2019 न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली उनवानी सरकार बनाम हरीमोहन मु.नं. 216/19

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 20.01.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की ग्राम पंचायत महमदपुर की दुकान एवं उसी ग्राम पंचायत की अटैच दुकान की जांच की गई। दौराने निरीक्षण राशनकार्डों में उपभोक्ताओं को दी गई राशन सामग्री की मात्रा व दिनांक का इन्द्राज नहीं करना, पोस की पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं देना, दोनों दुकानों पर कुल 86.90 क्विं. गेंहू, 535.5 लीटर केरोसीन एवं 6.26 क्विं. चीनी का दुरुपयोग करना पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी करौली ने निर्णय दिनांक 09.05.2019 कानून के विपरीत दिया है जो काबिले मंसूख है। अदालत मातहत ने प्रार्थी अपीलाण्ट राशन डीलर के द्वारा सामग्री की कम मात्रा व दिनांक का इन्द्राज राशन कार्डो में नही करना गलत तथ्य दर्ज किये है तथा पोश की पर्ची उपभोक्ता को नहीं देने वाली बात भी गलत निर्णय में दर्ज की है तथा अपीलाण्ट की राशन की दुकान ग्राम महमदपुर भाग 1/3 के निरीक्षण भौतिक सत्यापन जो अधिनस्थ कर्मचारी द्वारा किया गया है वह बिल्कुल गलत है। मौके पर निरीक्षक श्रीमति सुनीता मीना प्रवर्तन निरीक्षक कभी भी दिनांक 20.01.2019 को अपीलाण्ट डीलर की दुकान पर नहीं पहुंची ना ही गेंहू, चीनी, केरोसीन को देखा ना ही किसी प्रकार का कोई वजन किसी भी वजन से नही तोला ना ही केरोसीन की कोई नाप की निरीक्षक महोदय कमियां कार्यालय में बैठ कर निकाली है। अपीलाण्ट को जब अदालत मातहत द्वारा नोटिस दिया गया जब इसकी जानकारी सामग्री कम होने की मिली तब ही अपीलाण्ट ने श्रीमान जिला रसद अधिकारी करौली को सारी सम्पूर्ण खाद्य सामग्री गेंहू, चीनी, तेल, के बारे में बतलाया। उक्त सभी सामग्री मंजूर शुदा दुकान के अंदर मौजूद थी और रखी हुई थी। अपीलाण्ट ने निरीक्षक महोदय से भी यह कहा कि आप चल कर दुकान को देखिये उसमें आपके द्वारा कम बतायी गयी 86.90 क्वि. गेंहू, 535.5 लीटर केरोसीन एवं 6.26 क्वि. चीनी बोरियों में व ड्रम में तेल रखा हुआ है। अपीलाण्ट को गलत रसद सामग्री कम होने का नोटिस दिया गया है। अदालत मातहत ने इस विषय पर कोई गौर नही फरमाया और जबरदस्ती राशन सामग्री का दुरूपयोग बताकर अपीलाण्ट के राशन डीलर ग्राम पंचायत

जिला कलक्टर
करौली

महमदपुर भाग 1/3 के लाइसेंस को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। निर्णय निरस्त योग्य है। अदालत मातहत को अपीलाण्ट ने 20.02.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस के जवाब मे सारा उल्लेख किया है। मोबाईल पर मैसेज भी पूर्व में दिया है। अपीलाण्ट की दुकान के अंदर राशन सामग्री गेंहू, चीनी, तेल अब भी मौजूद है जिसको जमा नही कर रहे है और राजनैतिक द्वेषता के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध निरीक्षक अधिकारी श्रीमति सुनीता मीना द्वारा राजनैतिको से मिलकर उनकी बात मानकर जानबूझकर राशन सामग्री का गलत तरीके से दुरूपयोग बताकर अपीलाण्ट के लाइसेंस को निरस्त किया है। अपीलाण्ट ने किसी प्रकार के 86.90 क्वि. गेंहू, 535.5 लीटर केरोसीन, 6.26 क्वि. चीनी का कोई दुरूपयोग नहीं किया है ना ही राज. खादय एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 की शर्तो का कोई उल्लंघन नही किया है। अदालत मातहत ने अपीलाण्ट की जमाशुदा 1000 रूपया सिक्यूरिटी राशि को जब्त करने में भी कानूनी भूल की है। निर्णय दिनांक 09.05.2019 निरस्त करने योग्य है। अपीलाण्ट ने प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 5, 8, 10, 11, 15, 17 (सी) का कोई उल्लंघन नही किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 20.01.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की स्थाई व अस्थाई दुकान की जांच की गई। फर्द मौका पर अपीलार्थी राशन डीलर के हस्ताक्षर हैं। अपीलार्थी की स्थाई दुकान पर स्वयं डीलर रसद सामग्री का वितरण करता हुआ मिला। पोस मशीन से स्टॉक की पर्ची निकलवाई गई जिसमें 527.7 किलो चीनी, केरोसीन 00(शून्य) लीटर एवं गेंहूं 14112 किलो दर्ज पाया गया। भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक में 95 कट्टे (औसत भरती 51 किलो) के पाये गये जिनमें 48.45 क्विं. गेंहू था। केरोसीन व चीनी का स्टॉक नहीं पाया। डीलर द्वारा दूसरी अस्थायी दुकान पर स्टॉक होना बताया जिसकी पोश मशीन में बिल/रसीद देने का रोल लगा हुआ नहीं पाया। उपभोक्ताओं को रसीद नहीं दी जा रही है। राशन सामग्री का इन्द्राज भी निर्धारित कॉलम में नहीं पाकर इधर–उधर किया जा रहा है। दूसरी अस्थायी दुकान की पोस मशीन से स्टॉक की पर्ची निकलवाने पर 399.5 किलो चीनी, केरोसीन 130.5 लीटर गेंहूं 96.97 क्विं. दर्ज पाया गया। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर चीनी 00(शून्य) किलो, केरोसीन 00(शून्य) लीटर व 9 कट्टे (औसत भरती 51 किलो) कुल 4.60 क्विं. गेंहू पाया गया। कार्यालय रिकॉर्ड व ऑनलाइन वितरण के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर की स्थाई दुकान में दिनांक 01.10.2016 से वक्त जांच तक आमद 11550 लीटर में से 10155.5 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 1394.5 लीटर केरोसीन होना चाहिये था। इसी प्रकार कुल आमद 4.16 क्विं. चीनी में से 1.88.500 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 2.27.500 क्विं. चीनी होनी चाहिये थी। इसी प्रकार दिनांक 01.09.2016 से वक्त जांच तक कुल आमद 2144.32 क्विं. गेंहूं में से 2007.05 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत 137.27 क्विं. गेंहूं शेष होना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थी की स्थाई दुकान पर 1394.5 लीटर केरोसीन, 2.27.500 क्विं. चीनी व 88.82 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। इसी प्रकार कार्यालय रिकॉर्ड व ऑनलाइन वितरण के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर की अस्थाई दुकान में वक्त जांच तक 1600 लीटर केरोसीन की आमद हुई जबकि डीलर द्वारा 3709 लीटर केरोसीन का वितरण अर्थात् 2109 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण कर दिया। इसी प्रकार कुल आमद 7.5 क्विं. चीनी में से 3.51.500 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 3.985 क्विं. चीनी होनी चाहिये थी। इसी प्रकार वक्त जांच कुल आमद 1225.43 क्विं. गेंहूं में से 1222.75 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत 2.68 क्विं. गेंहूं शेष होना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थी की स्थाई दुकान पर 3.985 क्विं. चीनी कम, 1.92 क्विं. गेंहूं अधिक

जिला कलेक्टर
करौली

पाया गया व 2109 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण करना पाया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत कुड़गांव के राशन डीलर श्री रामसहाय मीना के निलंबन पर अटैच डीलर के रूप में 1250 लीटर केरोसीन की आमद है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर के पास स्थाई व अस्थाई दुकानों की कुल आमद 3369.75 क्विं. गेंहू में से कुल वितरण 3229.8 क्विं. गेंहू के उपरांत 139.95 क्विं. गेंहू शेष की अपेक्षा 86.90 क्विं. गेंहू कम पाया जाकर 53.05 क्विं. गेंहू पाया गया। इसी प्रकार कुल आमद 14400 लीटर केरोसीन में से कुल वितरण 13864.5 लीटर केरोसीन के उपरांत 535.5 लीटर केरोसीन की अपेक्षा 535.5 लीटर केरोसीन कम पाया जाकर 00(शून्य) लीटर केरोसीन पाया गया तथा इसी प्रकार कुल आमद 11.66 क्विं. चीनी में से 5.40 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत शेष 6.26 क्विं. चीनी की अपेक्षा 6.26 क्विं. चीनी कम पायी जाकर 00(शून्य) क्विं. चीनी पायी गई जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है। तौल माप करने में भी इतनी बड़ी मात्रा की गलती नहीं हो सकती है। फर्द मौका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं जिनसे स्टॉक में पाई गई मात्रा, मौके पर जाकर दुकान की जाच करना प्रमाणित है। सभी आरोप निराधार हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की स्थाई व अस्थाई दुकान के निरीक्षण करने पर उपभोक्ताओं को वितरित की जा रही सामग्री की मात्रा व दिनांक का राशन कार्ड में अंकन नहीं किया जाना, पोस की पर्ची(बिल) उपभोक्ताओं को नहीं देना पाया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की स्थाई व अस्थाई दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने, पोस मशीन में दर्ज स्टॉक से मिलान करने तथा कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण की रिपोर्ट के आधार पर ऑडिट करने से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की दुकान पर वक्त जांच तक आमद 3369.75 क्विं. गेंहू में से कुल वितरण 3229.8 क्विं. गेंहू के उपरांत 139.95 क्विं. गेंहू शेष की अपेक्षा 86.90 क्विं. गेंहू कम पाया जाकर 53.05 क्विं. गेंहू पाया गया। इसी प्रकार कुल आमद 14400 लीटर केरोसीन में से कुल वितरण 13864.5 लीटर केरोसीन के उपरांत 535.5 लीटर केरोसीन की अपेक्षा 535.5 लीटर केरोसीन कम पाया जाकर 00(शून्य) लीटर केरोसीन पाया गया तथा इसी प्रकार कुल आमद 11.66 क्विं. चीनी में से 5.40 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत शेष 6.26 क्विं. चीनी की अपेक्षा 6.26 क्विं. चीनी कम पायी जाकर 00(शून्य) क्विं. चीनी पायी गई जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है जो गंभीर अनियमितताएं हैं। भौतिक सत्यापन करने एवं जांच के फर्द मौका पर अपीलार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर हैं जिनसे मौके पर जांच किया जाना प्रमाणित है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 09.05.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली